



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600002

दिलों के पास, मुस्कान के साथ

www.iob.in

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

विज्ञापन सं.: मासंवि/भर्ती/01/2014

दिनांक: 06.02.2014

उड़ान - जम्मू और कश्मीर (एस आइ आइ - जे एंड के) के लिए विशेष उद्योग पहल योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों और लिपिकों के पदों के लिए प्रशिक्षण एवं भर्ती हेतु जे एंड के से स्नातकों का चयन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, अखिल भारतीय मौजूदगी वाला एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में नियोजनीयता बढ़ाने और कौशल उपलब्ध कराने में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष उद्योग पहल योजना (एसआइआइ) जे एंड के (उड़ान) में भागीदारी कर रहा है।

कौशल विकास के लिए तीन माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन करने के लिए एक मान्य स्थाई आवासीय प्रमाणपत्र (पीआरसी) के साथ जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) राज्य से बेरोजगार युवा, योग्य एवं पात्र स्नातकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कृपया नोट करें कि वे उम्मीदवार जिन्होंने किसी अन्य उड़ान पार्टनर में ज्वॉइन कर लिया है वे शीर्षांकित प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

तीन माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पात्र उम्मीदवारों को प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर एवं/ या ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा एवं/या साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर और /या राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एन एस डी सी) एवं जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ समन्वय करके बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य पद्धति द्वारा प्रशिक्षण के लिए **100** उम्मीदवारों को लिया जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि **3** माह होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर, सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

तीन माह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उम्मीदवारों के शैक्षणिक निष्पादन या ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा और / या साक्षात्कार और / या बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य पद्धति के आधार पर, प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उम्मीदवारों को बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापन में वर्णित निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। कृपया नोट करें कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ही ऑनलाइन पर अपने विवरण सही-सही भरें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तारीख	06.02.2014
ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त होने की तारीख	21.02.2014
ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने की संभावित तारीख	18.03.2014 के बाद
ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा की संभावित तारीख	30.03.2014
प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार का संभावित माह	अप्रैल-मई 2014

1. रिक्तियों एवं आरक्षण का विवरण (पद-वार)

अ. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन

पद	अ जा	अज जा	अ पिव	सा मा न्य	रिक्ति यों की कुल संख्या	इनमें से शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए			
						शा.अ.			भू.पू.सै.
						दृवि	ब	अ वि	
जेएमजीएस I में परिवीक्षाधीन अधिकारी	6	4	14	26	50	2	-	-	
लिपिक	4	6	14	26	50	2	-	-	6

ब. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भर्ती

पद	अ जा	अज जा	अ पिव	सा मा न्य	रिक्ति यों की कुल संख्या	इनमें से शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए			
						शा.अ.			भू.पू.सै.
						दृवि	ब	अ वि	
जेएमजीएस I में परिवीक्षाधीन अधिकारी	3	2	7	13	25	1	-	-	
लिपिक	2	3	7	13	25	1	-	-	3

अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जन जाति, अपिव - अन्य पिछड़े वर्ग, सा. - सामान्य, शा.अ - शारीरिक रूप से अक्षम, दृवि - दृष्टिगत रूप से विकलांग, ब - बधिर, अवि - अस्थि विकलांग, जेएमजीएस-I - कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल - I, प अ - परिवीक्षाधीन अधिकारी, एसआइआइ - जे एंड के - जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल, एनएसडीसी - राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन

क) चूंकि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण समस्तरीय आधार पर है, चयनित उम्मीदवारों को समुचित वर्ग (यानि अजा/अजजा/ अपिव/ सा.) में रखा जाएगा जिसके अंतर्गत वे आते हैं।

ख) रिक्तियों की संख्या और आरक्षित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है तथा बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं, यह योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग) उपरोक्त आरक्षण में शॉर्टफाल/बैकलॉग आरक्षण भी शामिल है।

घ) यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक के सभी कार्यालयों/ शाखाओं में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को नियुक्त करना संभव नहीं होगा व चयनित होने पर उन्हें बैंक द्वारा निर्धारित पद पर काम करना होगा जिसके लिए वे उपयुक्त होंगे।

ङ) लिपिकों के लिए चयनित उम्मीदवारों को जम्मू व कश्मीर में नियुक्त किया जाएगा तथा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को, बैंक की आवश्यकता के अनुसार, भारत में किसी भी जगह पर नियुक्त किया जाएगा।

च) कृपया नोट करें कि उम्मीदवार सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दो आवेदन पूरी तरह अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

2. पात्रता शर्त

यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ जम्मू व कश्मीर के बेरोज़गार युवकों के लिए लागू है, जो **01.02.2014** को पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यानि परिवीक्षाधीन अधिकारी या लिपिक।

क) दोनों पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं (01.02.2014 को):

i) न्यूनतम **60%** अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक (अनु. जा./ अनु. जन. जा./ शा. वि. वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम **55%** अंक)

विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा स्नातक के परिणाम 01.02.2014 को या उससे पहले घोषित हो चुके होने चाहिए। यदि अंतिम साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए गए सेमेस्टर (वर्ष) अंक पत्र/ समेकित अंक पत्र/ अंतिम डिग्री/ अस्थाई डिग्री प्रमाण-पत्र में स्नातक के अंतिम परिणामों की घोषणा की तारीख नहीं है (जो 01.02.2014 या उससे पहले होनी चाहिए) तो उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे विश्वविद्यालय/ संस्थान से दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें स्नातक के अंतिम परिणामों की घोषणा की तारीख उल्लिखित हो और साक्षात्कार के समय उसे अनिवार्य रूप से जमा करें।

नोट: उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में वे डिग्री में प्राप्त अंकों का केवल प्रतिशत ही भरें (समीपस्थ दो दशमलवों तक)। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि जहां विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में नहीं है, परन्तु मात्र सीजीपीए/ ओजीपीए में प्राप्त है, वे उसे प्रतिशत में परिवर्तित करें व अंक सिर्फ प्रतिशत में भरें। प्रतिशत के अंश को दरकिनार कर दिया जाएगा व उसे अगले उच्चतम पूर्णांक तक नहीं ले जाया जाएगा यानि 59.99% को 60% से कम माना जाएगा व 54.99% को 55% से कम माना जाएगा।

ख) दोनों पदों के लिए आयु (01.02.2014 को):

न्यूनतम आयु: **20 वर्ष**; अधिकतम आयु: **28 वर्ष**। अनु. जा./ अनु. जन. जा./ अ. पि. व./ शा. अ. / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु में छूट विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक होगी।

क्रम सं.	वर्ग	आयु छूट
----------	------	---------

परिवीक्षाधीन व लिपिक दोनों पदों के लिए छूट		
1	अनु. जा./ अनु. जन. जा. उम्मीदवार	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार	3 वर्ष
3	01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि में जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में रहे व्यक्ति	5 वर्ष
4	शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग के उम्मीदवार	10 वर्ष
5	1984 के दंगों के प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष
सिर्फ परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिए लागू अन्य छूट		
6	भूतपूर्व-सैनिक कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिए, इसीओ/ एसएससीओ समेत, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा दी हो व कार्य पूरा होने पर सेवानिवृत्त किए गए हों (वे भी सम्मिलित हैं जिनका ऑनलाइन पंजीकरण के बंद होने की तारीख से 12 माह के अंदर कार्य पूरा होने वाला है) कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्त या सेवामुक्त व्यक्तियों और सैन्य सेवा के दौरान शारीरिक विकलांगता की वजह से सेवा के लिए अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर।	5 वर्ष
सिर्फ लिपिकों के लिए लागू अन्य छूट		
7	भूतपूर्व सैनिक	3 वर्ष (सैन्य बलों में वास्तविक सेवा अवधि के अतिरिक्त, बशर्ते अधिकतम उम्र 50 वर्ष हो)
8	विधवाएं, तलाकशुदा औरतें व न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने पति से अलग हुई औरतें, जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है	सामान्य प्रवर्ग के लिए 35 वर्ष तक, अ. पि. व. के लिए 38 वर्ष व अ. जा./अ. ज. जा. उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष

नोट:

i) उक्त श्रेणियों के एक से अधिक के तहत छूट के लिए पात्र उम्मीदवारों के मामले में आयु में छूट बिंदु 3 से 8 तक उल्लिखितानुसार आयु में छूट के लिए शेष श्रेणियों के किसी एक के साथ संचयी आधार पर उपलब्ध होगी। यह छूट सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ही मिलेगी।

ii) उक्त क्रम संख्या 3 के तहत आयु में छूट के लिए पात्र सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय कश्मीर के जिला-अधीक्षक, जिनके अधिकार क्षेत्र में वह रहता/ती था/थी या इस संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, जो यह दर्शाए कि उम्मीदवार 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में रहा/रही हो।

iii) उक्त छूट सिर्फ तभी लागू होगी जब उम्मीदवार इस संबंध में भारत सरकार के आदेशों तथा अनुदेशों में निर्धारित विविध शर्तों को पूरा करे। आयु में छूट का दावा करने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

iv) परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद के लिए

क. अपने पुनर्रोजगार के लिए एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में प्रदत्त सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार सार्वजनिक उपक्रम समेत किसी भी सरकारी सिविल नौकरी में शामिल होने पर पुनः किसी अन्य नौकरी में भूतपूर्व सैनिक के रूप में छूट का हकदार नहीं होगा

ख. अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई छूट नहीं है।

v) लिपिक के पद के लिए

अ. केंद्र सरकार में समूह 'सी' तथा 'डी' के तहत पहले से सेवारत रह चुके भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह सी तथा डी में उच्च श्रेणी में अन्य रोजगार पाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति होगी। हालांकि ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।

ग. राष्ट्रीयता / नागरिकता

उम्मीदवारको i) भारत का नागरिक या ii) नेपाल का निवासी या iii) भूटान का निवासी या

iv) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 के पहले आए तिब्बत के शरणार्थी या

v) भारत में स्थाई निवास के इरादे से आए भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा,

श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकन देश, युगाण्डा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंज़ानिया (पूर्व में तैगनिका और जंजीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी तौर पर निवास करने आया है बशर्ते उम्मीदवार उक्त वर्ग (ii),(iii),(iv) और (v) से संबंधित हो जिसके पक्ष में भारत सरकार ने प्रमाण पत्र जारी किया हो। जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसको बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा / साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकता है परन्तु अन्तिम रूप से चयन होने के बाद नियुक्ति का ऑफर भारत सरकार से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र मिलने पर ही दिया जाएगा।

3. परिभाषाएँ:

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए छूट प्रभावी होगी।

अ. शारीरिक रूप से अक्षम

i) **दृष्टिबाधित:** अंधता या कमजोर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दृष्टिबाधित है। अंधापन एक ऐसी स्थिति है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति (i) पूर्ण नेत्रहीन हो जाता है (या) (ii) विजुअल एक्यूटी जो बेहतर नेत्र में 6/60 या 20/200 (स्लेन) से ज्यादा नहीं होती है जिनमें दृष्टिदोष ठीक करने हेतु लेन्सों को इस्तेमाल किया जाता है (या) (iii) दृष्टि क्षेत्र सीमित हो जाना, जिसकी डिग्री 20 या इससे भी कम होती है। कम दृष्टि का अर्थ है -

मानक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कनेक्शन या उपचार लेने के बावजूद दृष्टि बाधित होना, परन्तु जो अपना कार्य करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र प्रयोग करते हैं।

ii) **बधिर तथा श्रवण बाधित:** वे व्यक्ति, जिनमें जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए सुनने की क्षमता नहीं है, अर्थात् दोनों कानों में सुनने की क्षमता नहीं है, बधिर हैं। वे सुन नहीं पाते, जोर से बोली गई ध्वनियों को समझ ही नहीं पाते। श्रवण बाधिता का अभिप्राय आवृत्तियों की कंवर्शेसनल रेंज में 60 डेसिबेल या अधिक का ह्रास है।

iii) **अस्थि अक्षमता से ग्रसित वे व्यक्ति हैं जो गति-विषयक अक्षमता या सेरिब्रल पैलसी से पीड़ित हैं।** अस्थि विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति अर्थात् लोकोमोटर अक्षमता या सेरिब्रल पैलसी के अंतर्गत आयेंगे। अस्थिगत विचलन की अक्षमता का अर्थ, अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता है, जो अंगों के संचालन में या मस्तिष्क में काफी गतिरोध पैदा करती है। सेरिब्रल पैलसी का अर्थ, किसी व्यक्ति की ऐसी अप्रगामी स्थितियों से है जो उसकी असामान्य

नियंत्रण स्थिति को दर्शाती है जिसका कारण मस्तिष्क रोग या प्रसव के पूर्व प्रसवास्था या शैशवकाल की विकास अवस्था के दौरान किसी चोट के कारण हुई है।

सिर्फ वही व्यक्ति जो संबंधित अक्षमता से कम से कम 40% तक पीड़ित हैं (जो केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो), सेवा/पदों में आरक्षण/रियायत के पात्र होंगे।

ब) भूतपूर्व सैनिक (सिर्फ लिपिक के पद हेतु लागू)

i. भूतपूर्व सैनिक समय समय पर संशोधित दिनांक 27.10.1986 के भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं. 36034/5/85 में निर्दिष्ट संशोधित परिभाषाओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाएंगे।

ii) अक्षम भूतपूर्व सैनिक: संघ के सशस्त्र बल में कार्यकाल के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए या तनावग्रस्त क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए अपंग हो गए भूतपूर्व सैनिक ही अक्षम भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाएंगे।

iii) युद्ध में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों पर आश्रित व्यक्ति: निम्न ऑपरेशनों में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवाओं की गतिविधियों में मृत माना जाएगा (अ) युद्ध (ब) युद्ध जैसे ऑपरेशनों या पाकिस्तान या अन्य देशों के साथ सीमारेखा पर मुठभेड़ (स) नागालैंड, मिज़ोरम आदि जैसे सशस्त्र विद्रोह की जवाबी कार्रवाई के माहौल में संघर्ष (ड) विदेश में शांति मिशन को बनाए रखते हुए (ई) ऑपरेशन से एक महीने पूर्व से उसकी समाप्ति के तीन महीने के पश्चात तक की अवधि के दौरान माइन्स स्वीपिंग ऑपरेशन के रूप में शत्रु की माइंस सहित माइंस को बिछाना या हटाना (एफ) वास्तविक ऑपरेशन या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान हिमदाह (जी) प्रदर्शनकारी पारा मिलिट्री सैन्य कार्मिक का सामना करते समय (एच) श्रीलंका में ऑपरेशनों के दौरान मारे गए आइपीकेएफ कर्मी

चूंकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण समस्तर आधार पर है, अतः चयनित उम्मीदवारों को उपयुक्त प्रवर्ग, जिनसे वे संबंधित हैं(अ.जा/अ. ज.जा/अ.पि.व/सा), में रखा जाएगा।

परीक्षा के लिए लेखन-सहायक(स्क्राइब) का प्रयोग करने वाले अक्षम व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिबाधित उम्मीदवार या ऐसे उम्मीदवार, जिनकी लिखने की गति सेरिब्रल पैलसी द्वारा प्रभावित है, ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर लेखन-सहायक(स्क्राइब) का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी मामलों में, जहाँ लेखन-सहायक(स्क्राइब) की मदद ली जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- उम्मीदवार को अपने खर्च पर लेखन-सहायक(स्क्राइब) की व्यवस्था करनी होगी।
- लेखन-सहायक(स्क्राइब) किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है।
- उम्मीदवार तथा लेखन-सहायक(स्क्राइब) दोनों को ही एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा, जिसमें स्क्राइब द्वारा उक्त उल्लिखित लेखन-सहायक(स्क्राइब) के लिए निर्धारित पात्रता-अर्हता को पूरा करने की पुष्टि की गई हो। आगे चलकर लेखन-सहायक(स्क्राइब) के इन अर्हताओं को पूरा न कर पाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- लेखन-सहायक(स्क्राइब) की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए अतिरिक्त 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

दिशानिर्देश

(i) गति विषयक अक्षमता तथा सेरिब्रल पैलसी वाले उम्मीदवारों के लिए

गति विषयक अक्षमता तथा सेरिब्रल पैलसी वाले उम्मीदवारों, जहाँ लेखन गति इस हद तक प्रभावित है कि कार्यनिष्पादन धीमा हो रहा है (न्यूनतम 40% की क्षति), को प्रत्येक घंटे में अतिरिक्त 20 मिनट का समय दिए जाने की अनुमति है; हालांकि ऐसे उम्मीदवारों के लिए लेखन-सहायक(स्क्राइब) का प्रावधान नहीं है।

(ii) दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए

दृष्टिबाधित उम्मीदवार (न्यूनतम 40% अक्षमता से ग्रस्त) परीक्षा की विषय-वस्तु को आवर्धित फॉन्ट में देख सकते हैं। यह सुविधा परीक्षा में लेखन-सहायक(स्क्राइब) की मदद लेने वाले दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी।

4. प्रशिक्षण हेतु चयन-प्रक्रिया: (दोनों पदों के लिए)

ए. ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा:

एक वैध स्थाई निवास प्रमाणपत्र के साथ समय पर समुचित रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले सभी उम्मीदवार ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ होगी, में शामिल होंगे। उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपना परिचय-पत्र पंजीकरण सं./अनुक्रमांक तथा ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात सृजित तथा ईमेल किए गए पासवर्ड का प्रयोग करते हुए बैंक की वेबसाइट www.iob.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इससे संबंधित जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की सं.	पूर्णांक	समय-अवधि

1.	तर्कशक्ति	20	25	कुल एक घंटा
2.	अंग्रेज़ी भाषा	20	20	
3.	संख्यात्मक योग्यता	20	25	
4.	सामान्य ज्ञान(बैंकिंग उद्योग के विशेष संदर्भ में)	20	20	
5.	कंप्यूटर ज्ञान	20	10	
	कुल	100	100	

अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा को छोड़कर उपर्युक्त परीक्षा की प्रकृति द्विभाषिक अर्थात अंग्रेज़ी तथा हिंदी में होगी।

गलत उत्तर के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए दंड होगा। उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत जवाब के लिए दंडस्वरूप एक चौथाई अर्थात 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। कोई भी जवाब न दिए जाने की स्थिति में उस सवाल के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे।

परीक्षा-केंद्र

- परीक्षा ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में जम्मू-कश्मीर के विविध केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
- परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने और/ या कुछ अन्य केन्द्र जोड़ने, अपने विवेकाधिकार पर, प्रतिक्रिया के आधार पर, प्रशासनिक संभाव्यता आदि का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
- यथा संभव व्यवहार्य उम्मीदवारों को उनकी पसंद का केन्द्र आबंटित किया जाएगा, फिर भी किसी के द्वारा चुने गए विकल्प के अलावा उम्मीदवार को कोई भी केन्द्र आबंटित करने का अधिकार बैंक के पास है।
- उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्चे पर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के लिए शामिल होगा और बैंक किसी भी प्रकार की चोट और नुकसान इत्यादि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक प्रत्येक परीक्षा के लिए कुल भारित अंकों के साथ न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करेगा। रिक्तियों की संख्या के आधार पर, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए

बुलाया जाएगा जिनकी रैंक बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों के अनुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा में मैरिट के क्रम में अधिक है।

कृपया नोट करें उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑन -लाइन परीक्षा के लिए शामिल होने अनुमति नहीं दी जाएगी।

1) ऑन लाइन/ ऑफ लाइन परीक्षा के लिए वैध बुलावा पत्र

2) स्थाई निवास प्रमाण पत्र की मूल और छाया प्रति

3) फोटो पहचान प्रमाण-पत्र की मूल प्रति और फोटो प्रति(जैसा बिंदु 9 में उल्लिखित है) - पहचान सत्यापन

देर से यानि परीक्षा के लिए बुलावा पत्र में निर्धारित समय सूचना के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बुलावा पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पहले है। हालांकि परीक्षा की अवधि 1घंटा है फिर भी विभिन्न औपचारिकताओं जैसे विविध अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रहण,लॉग इन,अनुदेश दिया जाना इत्यादि को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सहित लगभग 2 घंटे के लिए परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों से रहने की अपेक्षा की जाती है।

(ख)साक्षात्कार:

रिक्तियों की संख्या के आधार पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने बैंक द्वारा निर्धारित कट-आफ अंकों के अनुसार ऑनलाइन/ ऑफ लाइन परीक्षा में वरीयता क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक प्राप्त किया हो। केवल पात्रता /ऑन लाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार प्राप्त होगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक रहेंगे। साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के लिए योग्यता के न्यूनतम अंक **22.50** है और अजा/अजजा/अपिव/शाअ/ भूपूसै के लिए **20.00** है।

साक्षात्कार केन्द्र

साक्षात्कार जम्मू और कश्मीर में बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। केन्द्र का पता और तिथि साक्षात्कार बुलावा पत्र में सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए चयनित सदस्य बैंक वेबसाइट www.iob.in में पंजीकरण संख्या/

अनुक्रमांक और ऑन लाइन पंजीकरण को पूरा करने के बाद ई-मेल किए गए उपलब्ध पासवर्ड डाल कर साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट:

क. साक्षात्कार केन्द्र या साक्षात्कार की तिथि बदलने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. साक्षात्कार के स्थान, केन्द्र, समय, तिथि में परिवर्तन करने / जोड़ने / निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है और साथ ही किन्हीं भी परिस्थितियों में, यदि कोई हों, तो अपने विवेकाधिकार के तहत उम्मीदवार को किसी अन्य केन्द्र पर साक्षात्कार के लिए बुलाने तथा सदस्यों के किसी समूह के लिए किसी विशिष्ट तिथि / समय / केन्द्र /स्थान पर अनुपूरक चयन प्रक्रिया बैंक कर सकता है। यदि इस प्रकार कोई परिवर्तन किया जाता है तो उम्मीदवारों को इसकी सूचना समय से पहले दे दी जाएगी।

ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर कौशल विकास और या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य पद्धति द्वारा **03** माह के लिए आवासीय प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों का चयन वरीयता श्रेणी के आधार पर सख्ती से किया जाएगा। अ.जा, अ.ज.जा./ अ.पि.व./ शा.अ./ भूपूसे के उम्मीदवारों को सरकार के विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार अंकों में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है, यदि आवश्यक हो।

पूर्ववृत्त की उचित जाँच की प्राप्ति और सरकारी प्राधिकरण/ एनएसडीसी से आवश्यक अनुमति के बाद ही चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

बैंक के साथ जुड़े संस्थान की सहायता से प्रशिक्षण जयपुर के पास, राजस्थान में प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन के पश्चात उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

5. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया:

प्रशिक्षण की सफल समाप्ति और सरकारी प्राधिकरण/ एनएसडीसी से उपयुक्त अनुमति प्राप्त होने पर उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारी और लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा और/ या साक्षात्कार और/ या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य किसी चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा।

बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों और लिपिकों के रूप में नियुक्ति का अंतिम चयन उम्मीदवार के 3 माह के प्रशिक्षण के शैक्षणिक कार्य निष्पादन और/या ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा और/ या साक्षात्कार और/या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य चयन प्रक्रिया पद्धति के आधार पर होगा। बैंक चयन प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक हो।

6. प्रशिक्षण के दौरान देय यात्रा भत्ता और वज़ीफा:

03 माह के कौशल विकास पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए चयनित और प्रशिक्षण स्थान पर पहुंचे उम्मीदवारों को एक बार के लिए उनके निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थान तक निकटतम मार्ग से एक तरफ से दूसरी-श्रेणी के रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। बैंक किसी भी प्रकार की क्षति/ नुकसान इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

बैंक 3 माह आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों को रु.2500/- प्रति माह वज़ीफे के रूप में अदा करेगा।

7. बैंक में नियुक्ति के बाद वेतन, परिवीक्षाधीन अवधि और अन्य विवरण

बैंक में नियुक्ति होने पर, पदवार वेतन एवं परिलब्धियाँ, परिवीक्षाधीन अवधि और सेवा बॉण्ड की पात्रता का विवरण निम्नलिखित है:

पद	वेतन एवं परिलब्धियां	परिवीक्षाधीन अवधि	सेवा बॉण्ड
परिवीक्षाधीन अधिकारी स्केल ।	वेतन मान- 14500-600/7 - 18700-700/2 - 20100-800/7 - 25700 के साथ समय समय पर लागू मँहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगरीय प्रतिपूर्ति भत्ता।	नियुक्ति के बाद, उम्मीदवार बैंक की सेवा में नियुक्ति की तिथि से बैंक के नियमों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए (24 माह की सक्रिय सेवा) परिवीक्षाधीन रहेंगे।	नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का वित्तीय सेवा बॉण्ड भरना होगा कि वे न्यूनतम तीन (3) वर्ष तक सेवा करेंगे। वित्तीय सेवा बॉण्ड की राशि वर्तमान में रु.1,00,000 है।
लिपिक	वेतन मान- 7,200 - 19,300 के साथ नियुक्ति के स्थान पर आधारित समय समय पर लागू मँहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि।	नियुक्ति के बाद, उम्मीदवार बैंक की सेवा में नियुक्ति की तिथि से बैंक के नियमों के अनुसार 06 माह की अवधि के लिए (06 माह की सक्रिय सेवा)	शून्य

परिवीक्षाधीन अवधि के सफल समापन और उचित पाए जाने पर वे बैंक की सेवाओं में स्थाई होंगे।

8. महत्वपूर्ण सामान्य अनुदेश

क) उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक की वेबसाइट www.iob.in के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन का लिंक एनएसडीसी उड़ान की वेबसाइट www.nsdcudaan.com पर भी उपलब्ध है। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन पर विचार/स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवार ही परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिए आवेदन करें।

ग) उम्मीदवार ध्यानपूर्वक प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंडों की निबंधनों एवं शर्तों को पढ़ें और पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किए जाने चाहिए। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की स्थिति में केवल अंतिम मान्य (पूर्ण) आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा।

घ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक के आधार पर वरीयता क्रम में हों और उनको यह बुलावा संबंधित दस्तावेजों में व्यक्त अपनी आयु या अर्हता या प्रवर्ग या किसी अन्य पात्रता मानदंड की जाँच के बिना होगा और अस्थायी रूप से होगा और ऑन लाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर विशुद्ध अंतिम आधार पर होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना है कि वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और बैंक द्वारा निर्धारित उनके पास सभी वांछित दस्तावेज और प्रमाण-पत्र विद्यमान हैं और ऑनलाइन में प्रस्तुत किए गए सारे विवरण सभी तरह से सही एवं वास्तविक हैं।

ऑनलाइन/ऑफलाइन/साक्षात्कार/अन्य किसी चयन प्रक्रिया या प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों को बुलाने/प्रवेश देने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक उम्मीदवारों की पात्रता से निस्संदेह रूप से संतुष्ट है और उम्मीदवार को चयन के लिए कोई अधिकार नहीं होगा। यदि संबंधित पद के लिए सदस्य पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते और / या उन्होंने कोई अवास्तविक / गलत सूचना / प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या कोई वास्तविक तथ्य छिपाया है भर्ती

प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बैंक किसी भी आवेदन को निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र है। नियुक्ति के बाद भी यदि ऐसी कोई विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

अगर उम्मीदवार पद के लिए अपात्र माना जाता है तो बैंक प्रशिक्षण/ भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र है। प्रशिक्षण के लिए चयन प्रक्रिया, भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सभी प्रक्रियाओं के विषय से संबंधित बैंक के सभी निर्णय अंतिम हैं और और वह उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस बारे में किसी भी प्रकार की निजी पूछताछ या पत्राचार पर बैंक विचार नहीं करेगा।

इ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि, जाति, जम्मू और कश्मीर की निवास की सत्यापित फोटो प्रतियों के अलावा मूल प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी। अजा/ अजजा/ अपिव/ शाअ वर्ग के सदस्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपनी जाति / अपनी विकलंगता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ मूल प्रतियों के साथ प्रस्तुत करनी होंगी जो कि अपनी पात्रता के मानदंड के समर्थन में अन्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होंगी। साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची अनुबंध II में अनुलग्न है।

उम्मीदवार साक्षात्कार के समय उपयुक्त जगह पर अपने फोटो और हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट भी जमा करें।

ड) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण-पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए कि वह "क्रीमीलेयर" के अंतर्गत नहीं आते जिसे भारत सरकार के अधीन सिविल पद और सेवाओं के लिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। "गैर-क्रीमीलेयर उपबंध" सहित प्रस्तुत अ.पि.व. वर्ग प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तिथि पर एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

च) ओबीसी वर्ग के लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना वर्ग सामान्य बताना होगा।

ज) ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पेन्शन भुगतान आदेश और अंतिम रैंक / वर्तमान रैंक का दस्तावेज़ी प्रमाण (मौलिक एवं अस्थाई) प्रस्तुत करना होगा। जो अभी भी रक्षा सेवा में कार्यरत हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से

इस बाबत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की निर्धारित तारीख से 12 महीनों के भीतर रक्षा सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

ट) शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग सहित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जिनके लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण घोषित नहीं किया गया है, सामान्य वर्ग के लिए आबंटित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

ठ) वे सदस्य जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते और जो अधिसूचना, परीक्षा कॉल लेटर, साक्षात्कार कॉल लेटर अथवा प्रशिक्षण कॉल लेटर किसी में भी सूचित अनुसार वांछित सभी दस्तावेजों की मूल व फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं करते (किसी कारणवश) और पात्रता मानदंड पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा/साक्षात्कार/ प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यद्यपि उन्होंने ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में वांछित स्तर का स्कोर प्राप्त किया हो और उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया हो।

ड) उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अपने खर्च पर ही आना होगा। तथापि अन्य स्टेशन से आने वाले अजा/अजजा/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों, जो बेरोजगार हैं, को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नज़दीकी रास्ते से द्वितीय श्रेणी का सामान्य रेल / बस से आने-जाने का किराया प्रतिपूरित किया जाएगा।(विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार) इस संबंध में किसी भी प्रकार की हानि / नुकसान या चोट आदि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ढ) किसी भी प्रकार की कैनवासिंग को अयोग्यता माना जाएगा।

प) पते / ई-मेल आईडी में परिवर्तन के लिए किए जाने वाले किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फ) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार चिकित्सा आधार पर आरोग्य घोषित होने के अधीन है। इस तरह की नियुक्ति बैंक के सेवा एवं आचरण संबंधी नियम की शर्त पर भी होगी।

ब) चयन प्रक्रिया के दौरान कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर या अन्य किसी उपकरण का उपयोग करना वर्जित है।

भ) अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा में अर्थ संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

म) इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में यह चेन्नै स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन ही होगा।

य) केन्द्र / स्थल के संबंध में जहाँ आवश्यक हो, बैंक अपने विवेकानुसार पुनः परीक्षा आयोजित करवा सकता है।

र) एक ही उम्मीदवार द्वारा दोनों पदों के लिए प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अंतिम चयन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. पहचान सत्यापन

ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग करते समय उम्मीदवार को एक फोटोग्राफ के साथ अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी), मूल फोटो आइ-डी जैसे पैनकार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आइडी / फोटो सहित बैंक पासबुक / फोटो सहित क्रेडिट कार्ड। आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर पर्यवेक्षक/ बैंक अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार की पहचान का मिलान बुलावा पत्र, उपस्थिति सूची, जमा किए गए अपेक्षित दस्तावेजों में उल्लिखित विवरणों से किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध हो तो उम्मीदवार को परीक्षा/ साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

नोट: उम्मीदवार को परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेते समय परीक्षा बुलावा पत्र/ साक्षात्कार बुलावा पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करानी होगी तथा मूल प्रमाण-पत्र भी दिखाना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. अजा/अजजा/अपिव/ शा अ को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

अ) अजा/अजजा/अपिव के लिए

जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट / सब डिविजन मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / एकज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे न हो /

क्षेत्र के सब-डिविजन अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है।

आ) शारीरिक रूप से अक्षमों के लिए (पी सी)

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण एक चिकित्सा बोर्ड होगा ,जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से उस विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी होगा जिससे संबंधित सदस्य बाधित है।

11. कदाचार के दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय और प्रमाणित प्रतियां/ प्रमाण पत्र जमा करते समय उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए जो गलत, बदली हुई अथवा जाली हो और न ही कोई जरूरी सूचना छिपानी चाहिए।

ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के समय यदि उम्मीदवार निम्नवत का दोषी है (या पाया जाता है):

ए) परीक्षा/ साक्षात्कार के दौरान अनुचित तरीके अपनाना (या)

बी) किसी के बदले परीक्षा देना या अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना (या)

सी) परीक्षा/ साक्षात्कार/ प्रशिक्षण स्थल पर अभद्र व्यवहार करना या स्थल से दस्तावेज़ लेकर चले जाना (या)

डी) चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित अथवा अनुचित तरीका अपनाना (या)

ई) किसी अन्य तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना।

इस प्रकार का उम्मीदवार स्वयं के अपराधिक अभियोजन का पात्र होने के साथ ही निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा:-

ए) बैंक द्वारा की जाने वाली किसी भी भर्ती के लिए स्थायी रूप से अथवा निर्धारित समयावधि के लिए अयोग्य हो जाना।

12. आवेदन कैसे करें

पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट www.iob.in पर ऑनलाइन के ज़रिए ही अपना आवेदन भेजें और अन्य किसी माध्यम/ प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक तक एनएसडीसी उड़ान की वेबसाइट www.nsdcudaan.com के ज़रिए भी पहुंचा जा सकता है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न लिखित क्रम का पालन करें।

उम्मीदवारों के पास एक मान्य ई-मेल आइडी होना चाहिए और वही ई-मेल आइडी हमारे बैंक में उड़ान - (एसआईआई - जे एंड के) के तहत प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में दिया जाना चाहिए। उसे इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ई-मेल आइडी को किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख या किसी को भी बताना/ प्रकट नहीं करना चाहिए।

अ. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर लॉग ऑन करें और कैरियर लिंक (बैंक की वेबसाइट पर नीचे उपलब्ध है) पर क्लिक करें। इसके अलावा वे उड़ान वेबसाइट www.nsdcudaan.com के ज़रिए भी लिंक तक पहुंच सकते हैं।

आ. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कैरियर पृष्ठ पर उपलब्ध उड़ान- जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल (एसआईआई- जे एंड के) स्कीम के नीचे उपलब्ध विज्ञापन (अंग्रेजी) या विज्ञापन (हिन्दी) या विज्ञापन (उर्दू) पर क्लिक करते हुए विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लें।

इ. विस्तृत विज्ञापन पढ़ने और पात्रता सुनिश्चित करने के बाद उड़ान- जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल (एसआईआई- जे एंड के) स्कीम के नीचे "क्लिक एप्लाइ ऑनलाइन" लिंक पर क्लिक करते हुए उम्मीदवार कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें। सभी विवरण भरने के बाद, उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा/ साक्षात्कार के दौरान जमा करने के लिए उम्मीदवार सिस्टम द्वारा सृजित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का तब प्रिंट ले सकते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए पंजीकरण संख्या और सृजित पासवर्ड सुरक्षित भी रखा जाना चाहिए।

ई. ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को परिवर्तित/ संपादित करने का प्रावधान है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन में

विवरण सही करें, यदि कोई हो। यह संपादन सुविधा पंजीकरण के तुरंत बाद से 21.02.2014 तक उपलब्ध रहेगी। केवल तीन बार परिवर्तन करने की अनुमति होगी। अंतिम दिन के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

नोट: उम्मीदवार अथवा उसके पिता/ पति आदि का नाम ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रमाण पत्रों/ अंकतालिकाओं के अनुसार सही लिखा होना चाहिए। किसी प्रकार का परिवर्तन/ भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

13. साक्षात्कार एवं परीक्षा के लिए बुलावा पत्र

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को उनके ईमेल आईडी (ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखितानुसार)के जरिए सूचित किया जाएगा जो इस अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्हें ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है और ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के लिए तारीख, समय एवं स्थान के साथ बुलावा पत्र को ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण होने पर सृजित पंजीकरण / रोल नंबर एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन/ ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये सदस्यों के नाम व उनकी पंजीकरण की संख्या के विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।

यदि उम्मीदवारों को किन्हीं तकनीकी कारणों या अन्य कारणों से कॉल लेटर के बारे में कोई संप्रेषण या कोई सूचना नहीं मिल पाती है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे समय-समय पर बैंक की वेबसाइट और उड़ान वेबसाइट को देखते हुए अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाते रहें।

नोट:

उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न कर ऑनलाइन पर पंजीकरण और आवेदन की प्रस्तुति समय से पहले कर दें ताकि इंटरनेट पर भार पड़ने के कारण / वेबसाइट में अवरोध होने के कारण बैंक की वेबसाइट पर लॉगऑन करने में विफलता / असमर्थता और डिस-कनेक्शन की संभावना से बचा जा सके। उपर्युक्त कारणों वश या बैंक के नियंत्रण से परे किन्हीं अन्य कारणों से अंतिम तिथि के अंदर-अंदर उम्मीदवार आवेदन की प्रस्तुति यदि नहीं कर पाते हैं तो बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं

लेगा। बैंक की वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन का रूप ही अंतिम माना जाएगा और यह सभी उद्देश्यों के लिए यह अन्य सभी रूपों का अधिक्रमण करेगा। तदनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत विज्ञापन के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर लॉगऑन करें।

इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकर होगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम
(एन.बी.एल.)

फोटो व हस्ताक्षर अपलोड व स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर की (डिजिटल) इमेज निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार रखने की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज:

- फोटोग्राफ हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, हल्के रंग की, वरीय तौर पर, सफेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो।
- शांत चेहरे के साथ कैमरे की तरफ सीधे देखें।
- यदि फोटो धूप वाले दिन में ली गई हो, सूरज को अपने पीछे रखें या खुद को छाया में रखें, ताकि आपकी आंखें चौंधियाएं नहीं और कोई छाया नहीं आए।
- अगर आपको फ्लैश का इस्तेमाल करना है तो सुनिश्चित करें कि “रेड-आई” नहीं हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं हो और आपकी आंखें साफ दिखाई दे रही हों।
- टोपियां, हैट और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक साफे अनुमत है लेकिन उससे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
- आकार 200 x 230 पिक्सल (अधिमान्यतः)
- फाइल का आकार 20 केबी- 50 केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई फोटो 50 केबी से अधिक नहीं है। यदि फाइल का आकार 50 केबी से अधिक है तो स्कैन करने के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स जैसे कि डीपीआई रिजॉल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि को व्यवस्थित करें।

हस्ताक्षर इमेज:

- उम्मीदवार को सफेद पन्ने पर काली स्याही वाली कलम से हस्ताक्षर करने होंगे।
- हस्ताक्षर सिर्फ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल-लेटर में लगाने व जहां भी आवश्यक होगा किया जाएगा।
- परीक्षा के समय यदि उत्तर-पुस्तिका पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, कॉल-लेटर पर किए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं तो आवेदक को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
- आकार 140 x 60 पिक्सल (अधिमान्यतः)।
- फाइल का आकार 10 केबी – 20 केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें की स्कैन की गई इमेज 20 केबी से अधिक नहीं हो।

फोटो व हस्ताक्षर की स्कैनिंग

- स्कैनर के रिजॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- कलर को टू कलर पर सेट करें।
- फाइल आकार जैसा कि ऊपर वर्णित है।
- स्कैनर में मौजूद इमेज को फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करें, उसके बाद अपलोड एडिटर की मदद से इमेज को अंतिम आकार तक क्रॉप करें (ऊपर वर्णितानुसार)।
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीइजी प्रारूप में होना चाहिए। फाइल के नाम का एक उदाहरण है: इमेज01.जेपीजी या इमेज01.जेपीइजी। फोल्डर फाइल की लिस्टिंग करके या फाइल के इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज के आकार का पता कर सकते हैं।
- एमएस विंडोज़/ एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार फोटो व हस्ताक्षर को आसानी से जेपीइजी प्रारूप में एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर का इस्तेमाल कर प्राप्त कर सकते हैं क्रमशः 50 केबी व 20 केबी से अधिक नहीं। फाइल मेनु में 'सेव ऐज' विकल्प का उपयोग कर किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी में सुरक्षित किए जा सकते हैं व आकार को 'इमेज' मेनु में क्रॉप और उसके बाद रीसाइज़ विकल्प का उपयोग कर 50 केबी (फोटोग्राफ) व 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है (कृपया पिक्सल आकार के लिए ऊपर दिए प्वाइंट (i) व (ii) को देखें): इसी प्रकार के विकल्प अन्य फोट एडिटर में भी उपलब्ध हैं।

- यदि फाइल का आकार व प्रारूप निर्धारित जैसा नहीं है, गलती का संदेश दर्शाया जाएगा।

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा।

फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने का तरीका

- फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक रहेंगे।

- लिंक पर क्रमशः “अपलोड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर” क्लिक करें।

- ब्राउज़ करें और उस जगह का चुनाव करें जहां स्कैन किए हुए फोटोग्राफ व हस्ताक्षर फाइल रखे हैं।

- क्लिक करके फाइल का चयन करें।

- ओपन/ अपलोड बटन पर क्लिक करें।

यदि आप अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित रूप से अपलोड नहीं करते हैं तो आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।

नोट:

(1) **फोटोग्राफ** में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात उम्मीदवार को चेक करना चाहिए कि इमेज स्पष्ट है या और सही अपलोड की गई है। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार अपने आवेदन को पुनर्संपादित कर सकता है और अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकता है।

(2) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सिस्टम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।